51

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मन्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक /07
R 1039-II/07

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
आ. क्र. 1910
दिनांक 19-6-07

COURT FEE 10 RS. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE 5 RS. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
CANCELLED

1- सुरेश प्रताप सिंह ।
2- अवधेशप्रताप सिंह । तनय महेश प्रतापसिंह एवम श्रीमती महाराज कुमारी
3- श्रीमती ज्ञावती सिंह पुत्री महाराज कुमारी एवम महेश सिंह,
सभी निवासीगण ग्राम गोपाल खेड़ा तह0 मोहनलालगंज जिला लखनऊ

क्रमांक RP 5044
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 19-6-07 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

--- आवेदकगण

वनाम

1- रामेश्वरसिंह ।
2- अवमति सिंह ।
3- भरतराज सिंह । तनय तिलकराज सिंह सा0 बेला ।क्वॉरा। तह0
4- गंगेश्वरसिंह । रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

---- अनावेदकगण

Certified by Shri सन्तोष मिश्र (रनमाला)
Advocate/Applicant on 1/6/2007

Supdt.
Commissioner's office
Rewa Division
Rewa (M. P.)

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा दिनांक 2-3-07 बावत प्रकरण क्रमांक 327/अपील/81-82

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता सन 1959ईस्वी।

प्रकरण के तथ्य

विवादित भूमि के भूमिस्वामी सुखदेव सिंह थे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

(52)

निगरानी 1039–दो / 2007 जिला सतना

सुरेश प्रताप सिंह विरूद्ध रामेश्वर सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–6–2018	आवेदक अभिभाषक श्री संतोष मिश्रा रत्नमाला एंव अनावेदक अभिभाषक प्रमोद मिश्रा के तर्क सुने। अनावेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया कि अनावेदक कमांक 1 रामेश्वर सिंह व 2 अंकपति सिंह की मृत्यु हो गई है और उनका कोई सम्पर्क मृतक अनावेदको के वारिसों ने नहीं है। आवेदक अभिभाषक से वारिसों के संबंध में काफी समय से जानकारी प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये परन्तु उनकी ओर से मृतक अनावेदकों के वारिसों की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण वर्ष 2007 से अर्थात लगभग 11 वर्षों से लंबित है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी वारिसों की जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण (उपशमित) अवेट की जाती है। पक्षकार सूचित हो। अभिलेख वापस भेजा जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। 21/6/18 (आर0 के मिश्रा) सदस्य	